**अपील सूचना अधिकार संख्या 167/2016 अनवानी श्री धीरज कुमार पुत्र श्रीसुरेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

**24.05.2017**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री धीरज कुमार उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री धीरज कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निम्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करने का कष्ट करेंः–

1– पत्र कमांक 11359 दिनांकित 04.12.2014
2– पत्र कमांक 9459 दिनांकित 15.10.2014
3– पत्र कमांक 9498 दिनांक 12.10.2014
4– पत्र कमांक 155 दिनांकित 10.01.2015
5– पत्र कमांक 2377 व 2378 व पत्र कमांक 5291 दिनांकित 01.10.2015
5– पत्र दिनांक 23.01.2014
6– पत्र कमांक 981 दिनांकित 31.01.2014
7– पत्र दिनांक 13.02.2012
8– जबाब नोटिस चुन्नीराम का दिनांकित 05.02.2014
9– पत्र कमांक 10035 दिनांकित 18.11.2014
10–प्रमाणित प्रति दिनांक 22.09.2015 को चालान जमा करवाने से पूर्व चुन्नीराम द्वारा दिए गए पत्र की। उक्त सभी दस्तावेजात आपके कार्यालय से जारी हुए है जो अन्वेषण अधिकारी को दिए है। उनकी समस्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिप उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 7131 दिनांक 28.11.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में आवेदक/अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना लालगढ जाटान में दर्ज करवाई गई एफआईआर से संबंधित होने के कारण संबंधित पत्रावली एफआईआर में अन्वेषण में जेरकार होने के कारण आवेदक/अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन पत्र धारा 8(1)(जे) के तहत खारिज कर दिया गया था एवं पत्र सं0 6283 दिनांक 14.07.16 के द्वारा अपीलार्थी को समय अवधि में अवगत करवा दिया गया था। अतः अपील निरस्त की जावे।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 6283 दिनांक 14.07.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया हैः–

उक्त चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि आप द्वारा जो सूचना चाही गई है वह पत्रावली एफआईआर में अन्वेषण में चल रही है। सूचना आवेदक के विरूद्ध दर्ज करवाई गई एफआईआर से संबंधित है, जिसमें प्रकरण अभी पुलिस अनुसंधान में है। अतः आरटीआई की धारा 8(1)(जे) के तहत उक्त आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। इस संबंध में आपको कोई उज्र हो तो आप प्रथम अपील 30 दिवस के अन्दर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के कार्यालय में कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) के अनुसार उपलब्ध नही करवाने का निर्णय लिया है। अधिनियम की धारा 8(1)(ज) निम्न प्रकार से है:–

**" सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी"**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा जो सूचनांए चाही गई है वह उसके विरूद्ध दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. से संबंधित है और प्रकरण पुलिस अनुसंधान में है। इसलिए उसका प्रार्थना पत्र धारा 8(1)(ज) के तहत सही रूप से खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर